10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(20)

न्यायालय अध्यक्ष/सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट केम्प भोपाल.

प्र0क0– निगरानी/2017–18

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3853

विशाल सिंह आ0 श्री हरनाथ सिंह मैना
नि0– ग्राम सारसी तहसील शमशाबाद
जिला विदिशा म0प्र0। .... आवेदक

(2)

अभिभावक श्री अशोक गुप्ता
द्वारा आज दिनांक 4.10.17
को पेश।

विरूद्ध

उमराव सिंह आ0 श्री महाराम मैना
नि0– ग्राम सारसी तहसील शमशाबाद
जिला विदिशा म0प्र0। .... अनावेदक

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से विद्वान अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग शमशाबाद जिला विदिशा मध्यप्रदेश द्वारा उनके प्रकरण कमॉक–33/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनॉक–14–08–2017 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी सूचना प्राप्ति दिनॉक–31–08–2017 से समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम सारसी में आवेदक एवं अनावेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है। खसरा कमॉक– 135 एवं खसरा कमॉक–135/3/क के दक्षिण दिशा में आवेदक की भूमि खसरा कमॉक–136/3 रकबा 1.579 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

यह कि उपरोक्त अनावेदक ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के द्वारा प्रकरण कमॉक–61/अ–3/2013–14 में की कार्यवाही दिनॉक–15–07–2014 के विरूद्ध समयावधि वाह्य अपील प्रस्तुत की तथा अपील के साथ विलम्ब क्षमा के आवेदन–पत्र के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन–पत्र भी प्रस्तुत किया। विद्वान अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को सुने बिना ही अनावेदक को अपील करने की अनुमति प्रदान कर अपील अंतिम सुनवाई हेतु ग्राह्य करने के आदेश प्रदान किए।

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3853

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री अनोज गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	